संख्या–1791 / 71–4–2020–37 / 2015टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांक 06 नवम्बर, 2020

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) का शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–3 / यूजी–2020 / 1627 दिनांक 23.09.2020 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल / डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0) की फीस / शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 की विज्ञप्ति संख्या–1622 / 71–4–2020–37 / 2015टी0सी0 दिनांक 13.10.2020 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3– उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–3(घ) के अनुसार फीस का तात्पर्य समस्त फीस, जिसमें शिक्षण फीस या विकास प्रभार भी है, से है। उक्त अधिनियम की धारा–10(1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं:–

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:–

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप;
(दो) उपलब्ध अवसंरचना;
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत;
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय;
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय;
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4– उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की **धारा–10(1)** में उल्लिखित प्राविधानों तथा **धारा–10(1)(छः)** में पूर्व में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित किए गये मानदण्डों का संज्ञान लेते हुए शुल्क निर्धारण के लिए निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गयेः–

(i) आर्थिक उपयोगी जीवन (Useful Economic Life) को ध्यान में रखते हुए कम्पनी अधिनियम–2013 द्वारा निर्धारित ह्रास की दरें ही मेडिकल कालेज की सम्पत्तियों के संबंध में अनुमन्य की जायेगी।

(ii) संस्था की वर्ष 2018–19 की Audited Balance Sheet के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2020–21 के लिए शुल्क आंकलन औसत 07 प्रतिशत प्रतिवर्ष Inflation की दर पर किया जाय यद्यपि वास्तविक Inflation दर इससे कम है, परन्तु फीस निर्धारण पूर्व में इसी दर पर किया जाता रहा है। नये फीस निर्धारण मॉडल के अनुसार Variance की सीमा में ही विभिन्न कालेजों की फीस तय की जानी है। अतएव इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। तद्नुसार उक्त Inflation की दर के आधार पर वर्ष 2020–21 की फीस का निर्धारण किया जाना व्यावहारिक पाया गया। यह Inflation की दर केवल Variable Cost (वेतन, भत्ते आदि आवर्ती व्यय) पर ही अनुमन्य कराया गया है।

(iii) Fixed Asset पर मात्र SLM (Straight Line Depreciation Method) के आधार पर Depreciation ही अनुमन्य कराया गया है।

(iv) जहॉ UG & PG Courses दोनों संचालित हैं एवं उनका लेखा पृथक नहीं है, वहॉ व्यय 70:30 (UG:PG) का अनुपात रखा गया। जिन कालेजों में Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित हैं एवं लेखा पृथक नहीं है, उनके कुल व्यय का 10 प्रतिशत भाग Nursing Courses या अन्य पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित करते हुए व्यय में से उक्त 10 प्रतिशत की धनराशि को अनुमन्यता से घटा दिया गया है।

(v) समिति ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन बनाम स्टेट आफ कर्नाटक मामले में आब्जर्वेशन के अनुसार निजी संस्थाओं को विकास दर 06 से 15 प्रतिशत के मध्य रखने के आधार पर संस्था के भविष्य में विकास एवं सुधार हेतु 10 प्रतिशत की दर से धनराशि की व्यवस्था शुल्क ढांचे में करना औचित्यपूर्ण पाया गया।

(vi) समिति द्वारा विगत 03 वर्षों के Whole Sale Price Index (WPI) के आधार पर Inflation की दर का आंकलन किया गया तथा छात्र हित में 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर को फीस निर्धारण हेतु अनुमन्य किया गया इस निमित्त कन्सल्टेन्ट के0पी0एम0जी0 द्वारा प्रस्तावित मॉडल के आधार पर वर्ष 2017–18 के 19 कालेजों की औसत वार्षिक फीस को 03 वर्षों के लिए 09 प्रतिशत (सामान्य ब्याज दर पर) बढ़ाते हुए एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु 01 वर्ष के लिए औसत शिक्षण शुल्क रू0 11.56 लाख अवधारित किया गया। इस औसत गणना के 10 प्रतिशत ऊपर व 10 प्रतिशत नीचे तक गणना करते हुए (±10%) यथा 20 प्रतिशत का Variance लगाकर प्रोरेटा बेसिस पर शुल्क की गणना करते हुए एम0बी0बी0एस0 के लिए रू0 10.40 लाख से रू0 12.72 लाख के मध्य शुल्क निर्धारण का रेंज तय किया गया ताकि विभिन्न कालेजों के शिक्षण शुल्क में अत्यधिक भिन्नता (गैप) न हो।

उल्लेखनीय है कि केवल बैलेंस शीट के आधार पर गणना करने पर विभिन्न मेडिकल/डेण्टल कालेजों के शिक्षण शुल्क में काफी अन्तर (गैप) आ रहा है, जो जनहित में उचित नहीं है। इस तथ्य का समिति द्वारा संज्ञान लेते हुए विभिन्न कालेजों के शिक्षण शुल्क में अन्तर को कम करने तथा फीस को रेशनालाइज करने हेतु उक्त सिद्धान्त को लागू किया गया है। बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु भी इसी सिद्धान्त पर शिक्षण शुल्क की गणना करते हुए शिक्षण शुल्क का रेंज रू0 2.93 लाख से रू0 3.59 लाख के मध्य तय किया गया।

(vii) नये मेडिकल कालेजों, जहाँ प्रथम बार एम0बी0बी0एस0 में प्रवेश लिया जाना है तथा प्रथम बार शुल्क का निर्धारण किया जा रहा है, उन कालेजों में चूंकि बैलेंस शीट की उपादेयता सीमित है अतएव उन कालेजों का शुल्क औसत शुल्क पर रखे जाने का विनिश्चय किया गया।

(viii) जिन पुरानी संस्थाओं द्वारा निर्देशों के बावजूद बैलेंस शीट जमा नहीं करायी गयी है, उन संस्थाओं का शुल्क न्यूनतम निर्धारित किए जाने का विनिश्चय किया गया।

(ix) उक्त आधार पर की गयी गणना के परिणामस्वरूप जिन संस्थाओं का शैक्षणिक शुल्क विगत वर्षों में निर्धारित शुल्क से कम हो रहा है, उनके मामले में पूर्व में निर्धारित शुल्क को यथावत बनाये रखते हुए तद्नुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण किये जाने का विनिश्चय किया गया।

5— उपर्युक्त अधिनियम—2006 की धारा—10(2) के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर दिये जाने के उद्देश्य से फीस नियतन समिति की आयोजित बैठक में संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में उपस्थित संबंधित संस्था के प्रतिनिधि के साथ शुल्क निर्धारण के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया गया। संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया और यह अनुरोध किया गया कि संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बैलेन्स शीट के आधार पर उनकी संस्थाओं के एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम के शुल्क निर्धारित किये जायें। फीस नियतन समिति द्वारा अपनी संस्तुतियों में उसका संज्ञान लिया गया है। समिति के सहयोगार्थ आबद्ध चाटर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा उपलब्ध करायी गयी गणना एवं कन्सल्टेन्ट (के0पी0एम0जी0) द्वारा अपनी रिपोर्ट में उपलब्ध कराये गये अन्य प्रदेशों की शुल्क गणना का भी समिति द्वारा संज्ञान लिया गया।

6— फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के 24 मेडिकल कालेजों तथा 19 डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) हेतु संबंधित संस्थाओं के सम्मुख अंकित शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020—21 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

मेडिकल कालेज

क.सं.	संस्था का नाम	प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि लाख में)
1	सुभारती मेडिकल कालेज, मेरठ।	11.31
2	श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बरेली।	12.72
3	मुजफ्फरनगर मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर।	12.31
4	रूहेलखण्ड मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, बरेली।	12.26
5	रामा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, कानपुर।	12.30

6	सरस्वती इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, हापुड़।	11.05
7	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	11.30
8	स्कूल आफ मेडिकल साइंसेज़ एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोएडा।	11.79
9	रामा मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर हापुड़।	12.54
10	मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, बाराबंकी।	10.67
11	राजश्री मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बरेली।	11.71
12	जी0एस0 मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, हापुड़।	11.30
13	हैरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, वाराणसी।	12.62
14	हिन्द इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज़, सीतापुर।	10.40
15	के0डी0 मेडिकल कालेज हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर मथुरा।	11.68
16	कृष्ण मोहन मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मथुरा।	11.34
17	प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़, लखनऊ।	10.84
18	सरस्वती मेडिकल कालेज, उन्नाव।	11.34
19	टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, अमौसी, लखनऊ।	12.65
20	वरूणार्जुन मेडिकल कालेज एण्ड रूहेलखण्ड हास्पिटल, शाहजहांपुर।	12.10
21	श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज़,गजरौला, अमरोहा।	10.83
22	नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मेरठ। (एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज, मेरठ)	11.72
23	यूनाईटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, प्रयागराज।	11.56
24	नोएडा इन्टरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, गौतमबुद्धनगर।	11.56

डेण्टल कालेज

क.सं.	संस्था का नाम	प्रतिछात्र/प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाला शुल्क (धनराशि लाख में)
1	बाबू बनारसी दास कालेज ऑफ डेन्टल साइंसेज, लखनऊ	3.48
2	सुभारती डेन्टल कालेज, मेरठ	2.93
3	डेण्टल कालेज, आजमगढ़	2.93
4	सरदार पटेल पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, लखनऊ	3.42
5	आई0टी0एस0 सेन्टर फार डेन्टल स्टडीज एण्ड रिसर्च, गाजियाबाद	3.59
6	आई0टी0एस0 डेण्टल कालेज, ग्रेटर नोएडा	3.41
7	कालका डेण्टल कालेज, मेरठ	2.93
8	कोठीवाल डेण्टल कालेज, मुरादाबाद	3.65

9	इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कालेज, गाजियाबाद	2.93
10	श्री बांके बिहारी डेण्टल कालेज, गाजियाबाद	3.60
11	आई0डी0एस0 बरेली।	2.93
12	आई0डी0एस0टी0 मोदीनगर, गाजियाबाद	3.38
13	स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज ग्रेटर नोएडा	3.65
14	के0डी0 डेण्टल कालेज, मथुरा	3.28
15	सरस्वती डेण्टल कालेज, लखनऊ	2.93
16	चन्द्रा डेण्टल कालेज, बाराबंकी	2.93
17	रामा डेण्टल कालेज, कानपुर	2.93
18	पूर्वान्चल डेण्टल कालेज गोरखपुर	2.93
19	महाराना प्रताप डेण्टल कालेज कानपुर	3.21

7— फीस नियमन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के आधार पर निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों द्वारा संचालित स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों (एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0) के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क शैक्षणिक सत्र 2020—21 हेतु एतद्द्वारा निर्धारित किये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

मेडिकल (एम0बी0बी0एस0)

1. **हॉस्टल शुल्क—**

(ए) नॉन ए0सी0 — रू0 1.50 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 — रू0 1.75 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक तथा वेरायटी का होगा।

2. **सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)—**

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:— रू0 3.00 लाख (एक बार) सिक्योरिटी की धनराशि को फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में भी जमा करायी जा सकती है। फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद राष्ट्रीयकृत बैंक की होनी आवश्यक है।

3. **विविध शुल्क—** रू0 0.80 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

डेण्टल (बी0डी0एस0)

1. **हॉस्टल शुल्क—**

(ए) नॉन ए0सी0 — रू0 0.85 लाख प्रतिवर्ष।

(बी) ए0सी0 — रू0 1.05 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त शुल्क में मेस शुल्क सम्मिलित है। एक कक्ष में दो से अधिक छात्र नहीं रखे जायेंगे। छात्रों को ब्रेक फास्ट, लन्च व डिनर उपलब्ध कराया जायेगा। आहार पौष्टिक होगा तथा वेरायटी का होगा।

2. **सिक्योरिटी डिपॉजिट (वापसी योग्य)—**

हास्पिटल, लाईब्रेरी, लेबोरेट्री एवं अन्य समस्त सिक्योरिटी राशि को शामिल करते हुए:— रू0 3.00 लाख (एक बार) सिक्योरिटी की धनराशि को फिक्स्ड डिपॉजिट के

रूप में भी जमा करायी जा सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट की रसीद राष्ट्रीयकृत बैंक की होनी आवश्यक है।

3. **विविध शुल्क–** रू0 0.40 लाख प्रतिवर्ष।

उक्त विविध शुल्क में समस्त प्रकार के शुल्क एवं चार्जेज यथा विश्वविद्यालय पंजीकरण, डेवलपमेंट फीस, लाइब्रेरी फीस, स्टूडेन्ट एसोशियेशन फीस, जिम एण्ड स्पोर्टस फीस, प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि सम्मिलित है। उक्त के अतिरिक्त कालेज द्वारा कोई अन्य फीस नहीं ली जायेगी।

8– शैक्षणिक शुल्क छात्रों से प्रतिवर्ष जमा कराया जायेगा एवं किसी भी दशा में शैक्षणिक शुल्क की राशि एकमुश्त अग्रिम के तौर पर जमा नहीं करायी जायेगी। संबंधित मेडिकल/डेण्टल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

9– उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट http://upmededu.in पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

शुल्क निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा लिये गये उपर्युक्त निर्णय का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– 1791 (1)/71–4–2020–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव, डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
उप सचिव